

# राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर वीरांगनाओं का सम्मान

## सैनिकों और नेताओं ने साझा किए संस्मरण

जयपुर। पिंग्सिटी प्रेस क्लब में मंगलवार को शौर्य मरुधर फाउंडेशन द्वारा स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना और वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों, राजनीतिक हस्तियों और समाजसेवियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया तथा एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

इस अवसर पर युव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संग्ररिया विधायक अभिमन्यु पुनिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट गरीब, जवान और किसानों के हितों के लिए साहसिक निर्णय लेने वाले नेता थे। उन्होंने युवाओं को राजनीति सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया, और आज यही काम उनके पुत्र सचिन पायलट कर रहे हैं। पुनिया ने कहा कि राजेश पायलट का कार्यक्रम में शहीदों और राजनीतिक यात्रा दोनों ही समाज के लिए प्रेरणादायक हैं।

सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बी.एस.



कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया तथा एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया।

निर्बाण ने अपने संबोधन में कहा कि पायलट साहब एक सैनिक के रूप में आदर्श थे और एक राजनेता के रूप में भी उन्होंने अनुरूपणीय जीवन जिया।

उन्होंने कहा कि शहीदों और वीरांगनाओं के देश में राजेश पायलट जैसे नेता गर्व का विषय हैं। निर्बाण ने यह भी कहा कि शहीद परिवारों को सुविधाओं और अधिकारों के लिए भयंकन पड़ता है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने राजस्थान में

देश में टेलीफोन क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने युवाओं को आगे लाने की एक नई शुरुआत की, जिसे आज सचिन पायलट आगे बढ़ा रहे हैं। पायलट का मानना था कि जब तक गरीब, किसान और सैनिकों के बच्चे नीति निर्धारण की कुर्सियों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक देश का सपना अधूरा रहेगा।

पूर्व विधायक गजराज खटाना, जो राजेश पायलट के सहयोगी रहे, ने अपने संस्मरण साझा करते हुए कहा कि पायलट की छवि सरकार और सिस्टम में साहसी, जबकि आम जनता में सहज और सौम्य थी।

उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक जनसुनवाई में आए व्यक्ति की बात सुनने के बाद ही पायलट ने चंद्रास्वामी की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जो उनके न्यायप्रिय और निर्णयात्मक व्यक्तित्व को दर्शाता है।

विधायक प्रशांत शर्मा (आमेर) ने कहा कि किस प्रकार स्वर्गीय राजेश पायलट ने उनके पिता सहदेव शर्मा को राजनीतिक संरक्षण दिया।

## लिफ्ट मांगने के बहाने व्यक्ति को लूटा

जयपुर। सांगानेर थाना इलाके में लिफ्ट के बहाने बदमाश एक व्यक्ति से स्कूटी व मोबाइल छीनकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है।पुलिस के अनुसार रघुनाथपुरी रम्योपूर रोड निवासी वैभव शर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि उसके पिता रात को बाजार से घर लौट रहे थे। तारों की कूट के पास एक युवक ने रुकने के लिए इशारा किया। इस पर उसके पिता विष्णु शर्मा रुक गए। इसके बाद बदमाश ने डरा धमका कर उसके पिता से स्कूटी और मोबाइल छीनकर भाग निकला।

# काश्तकारों ने एक जमीन को दो-दो बार बेचा

जयपुर। सांगानेर एयरपोर्ट पर श्री जगदीश धाम योजना में कई साल पहले खरीदे भूखण्डों पर कब्जा लेने के लिए भूखण्डधारियों को दर -र की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इस स्कौम में पीड़ितों ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक , जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी जयपुर पूर्व को पत्र लिखकर भूखण्डों पर कब्जा दिलाने और नाजायज कब्जा करने वालो के विरुद्ध कार्रवाई कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।

पीडित तुलसीराम चौधरी और दौलतसिंह चौहान ने अन्य पीडितों के साथ मंगलवार को प्रेस कार्रकेंस कर अपना दुखड़ा सुनाया। उनका कहना है कि अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड ने गांव टीलावाला जगतपुर सांगानेर एयरपोर्ट रोड के पास 1997 में काश्तकार जगदीश पुत्र गोदू निवासी टीलावाला से 4.70 हेक्टेयर जमीन जरिए इकरारनामा से खरीदी थी। इसका प्रतिकूल भी दे दिया था। सोसायटी ने इस जमीन पर श्री जगदीश धाम योजना बसाई थी। इसमें बाकायदा उनसे पैसे लेकर पट्टे दिए थे और कब्जा

- **भूखण्डधारी न्याय के लिए जगह जगह कर रहे हैं फरियाद**
- **आरोपियों के खिलाफ मुकदमा, दो साल में जांच तक नहीं**

भी सौपा था। उसके बाद 2005 में काश्तकार जगदीश, धासी, भौरीलाल, रामपाल पुत्र गोदू ने इस जमीन को मैसर्स प्राइम बिल्डहोम को बेचान कर दिया। इसके निदेशक पुनीत कर्नावट और गोविन्द अग्रवाल है। इन दोनों ने अपनी 16 बीघा जमीन को जेडीए से आवासीय योजना अप्रूव करा कर यहां कालोनी के निवासियों को पट्टे देने शुरू कर दिए और मूल आवंटियों व भूखंडधारियों को बेदखल करना शुरू कर दिया है।

श्री जगदीश धाम योजना में जब पीडित जब भी अपने भूखण्डों का कब्जा लेने के लिए जाते हैं तो उनको वहां से भगा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है

कि श्री जगदीश धाम योजना के नाम से कोई स्कौम नहीं है। यहाँ तो हमारी स्कौम है। पीडित जब अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति के मालिक देशराज बैरवा एवं गौरी शंकर गुप्ता से मिले तो उन्होंने 7 अप्रैल 2022 को प्रताप नगर थाना में मैसर्स प्राइम बिल्डहोम के निदेशक पुनीत कर्नावट, गोविन्द अग्रवाल और काश्तकारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उनको अभी तक भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में दो साल से कोई जांच तक नहीं कर रखी है।

श्री जगदीश धाम योजना में मैसर्स प्राइम बिल्डहोम ने रात दिन आवासीय योजना का काम चला रखा है। पीडित लोग मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक , जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी जयपुर पूर्व और प्रताप नगर थाना तक कई बार शिकायत चुके हैं परन्तु फिर भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुनीत कर्नावट जयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर है और भाजपा नेता है।

जयपुर। मालवीय नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकू से जानलेवा

हमले करने वाले आरोपी को पकडा

जयपुर। मालवीय नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकू से जानलेवा हमले करने वाले एक आरोपित को पकडा है और उसके पास से वारदात के दौरान प्रयुक्त किया गया एक चाकू भी

- **आरोपित के खिलाफ पूर्व में कई हत्या का प्रयास सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं**

बरादरम किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ पूर्व में कई थानों में एक दर्जन से अधिक निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। यहीं से धौलपुर की 61 करोड़ रूपए लागत से तैयार 07 एनकेट/सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। यह परियोजनाएं जल संरक्षण की दिशा में स्थायी समाधान और स्थानीय पर्यावरण सुधार में महत्वपूर्ण साबित होंगी।

दौसा के लालसोट में समेल एनिकट के निर्माण में अब तक 19.82 करोड़ रूपए की लागत आई है। इससे समेल, होदायली, गुजरहेरा, मंडलिया, जगसरा, गुमानपुर सहित आसपास के गांवों व

# सीमा शुल्क चोरी को लेकर कंपनी पर जुर्माना, एमडी को तीन साल की सजा

जयपुर। आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम अदालत, महानगर, द्वितीय ने करीब 62 लाख रुपए के सीमा शुल्क चोरी के मामले में मैसर्स स्तुति इलेक्ट्रॉनिक्स, भिवाड़ी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

इसके साथ ही अदालत ने कंपनी के एमडी अनिल सक्सेना को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एमडी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार मीना ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पर आर्थिक अपराध का आरोप है, जो कि सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा

## पुलिसकर्मी बनकर ले गया युवक से स्कूटी

जयपुर। वैशाली नगर थाना इलाके में पुलिसकर्मी बनकर मदद के बहाने बदमाश एक व्यक्ति से स्कूटी लेकर चलता बना। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच नहीं करती है। पुलिस इस मामले में घटना स्थल और उसके आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

पुलिस के अनुसार वैशाली नगर निवासी धर्मेन्द्र कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि वह बाजार से आर्मी क्वार्टर जा रहा था।

वैशाली नगर में वह एक ठेके पर आम लेने रुका। वहां पर एक युवक पुलिस की वर्दी में आया और उसने किसी काम के लिए स्कूटी मांगी। इस पर पीड़ित ने पुलिस का काम जरूरी मानकर उसे स्कूटी दे दी। वह काफी देर तक ठेके के पास ही आरोपी का इंतजार करता रहा। लेकिन बदमाश नहीं लौटा। इस पर पीड़ित को उग्री का अहसास हुआ। इस पर पीडित ने थाने पहुंच कर मामला दर्ज करवाया। बदमाश ने दू स्टार वाली वर्दी पहनी हुई थी।

- **पीठासीन अधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पर आर्थिक अपराध का आरोप है, जो कि सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है**

गया कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय ने अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पत्र पेश किया था। अभियोजन पत्र में कहा गया कि विभाग की जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

# नेशनल प्लेयर से जुड़े मामले में पाॅक्सो कोर्ट ने जांच अधिकारी को नसीहत दी

जयपुर। पाॅक्सो मामलों का विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग नेशनल प्लेयर को अभद्र इशारे करने से जुड़े मामले में जांच अधिकारी और ज्योति नगर थानाधिकारी को नसीहत दी है। वहीं अदालत ने प्रकरण के आरोपी करने पर अनुसंधान अधिकारी को चेतावनी दी है। पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी की ओर से जांच में लापरवाही का मामला पहली बार अदालत के समक्ष आया है। ऐसे में चेतावनी दी जाती है कि यदि भविष्य में उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं आया तो यह माना जाएगा कि वे जानबूझकर पीड़ित पक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी को याद रखना चाहिए कि ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता की

जिसमें स्टॉक कैपिटल, गुड्स और स्पेयर कम पाए गए। इस कमी के बारे में संचालक संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए। इस प्रकार अभियुक्तों ने फैक्ट्री परिसर से बिना ड्यूटी चुकाए ही माल को बाहर भेजा। अभियुक्त फर्म की ओर से पूर्व में कभी स्पेयर पाटर्स व कैपिटल गुड्स की निकासी के लिए आवेदन किया गया और ना ही विभाग से इसकी अनुमति ली गई। ऐसे में अभियुक्तों ने 62 लाख रुपए से अधिक के सीमा शुल्क की चोरी की। ऐसे में अभियुक्त पर समान राशि का जुर्माना लगाया गया और एमडी अनिल सक्सेना पर दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

# नेशनल प्लेयर से जुड़े मामले में पाॅक्सो कोर्ट ने जांच अधिकारी को नसीहत दी

धारा 198 व धारा 199 के तहत आता है। अदालत ने जांच अधिकारी को कहा कि वे दिए गए निर्देशों की पालना करेंगे, ताकि अदालत को यह मानना पड़े कि मामले में की गई लापरवाही सद्भाविक चूक है न की जानबूझकर की गई चूक। वहीं अदालत ने प्र